भारतीय गैर न्यायिक

बीस हज़ार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

Rs 20000 रु

INDIA NON JUDICIAL

Rs 20000 रु

03CC 319054

बयनामा

बयनामा 2,00,000/–रू0

मालियत 4,11,000/–रू0

स्टाम्प 41,500/–रू0

हम कि फूल कुवंर पुत्र श्री खिम्मा निवासी ग्राम मनोहरपुर तहसील व जिला मुरादाबाद प्रथम पक्ष (विक्रेता) व श्रीमती पुष्पलता छावड़ा पत्नी श्री मदनलाल छावड़ा निवासी न्यू खुशहाल नगर मुरादाबाद व श्रीमती राखी आहूजा पत्नी श्री मनोज आहूजा निवासी राजन इनक्लेव मुरादाबाद द्वितीय पक्ष (क्रेता), के हैं।

जोकि आराजी काश्त भूमिधरी खाता सं0 385 खसरा सं0 238 रकबई 0.089 हेक्टे0 व खसरा सं0 239 रकबई 0.097 हेक्टे0 व खसरा सं0 60 रकबई 0.085 हेक्टे0 कुल 3 किते कुल रकबई 0.217 हेक्टे0 का पूर्ण भाग व खाता सं0 469 खसरा सं0 59 रकबई 0.121 हेक्टे0 का बकदर 1/2 भाग लगानी सालाना 7.00 जमीन किस्म दोमट सर्किल न0

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये
RUPEES
२०००० रुपये
Rs 20000 रु INDIA NON JUDICIAL Rs 20000 रु

23 MAR 2005

03CC 319053

4 बाकै ग्राम मुकर्रबपुर एहतमाली तहसील व जिला मुरादाबाद जिस पर विक्रेता बहैसियत भूमिधर मालिक काबिज व दखील हैं। प्रथम पक्ष को इस आराजी की बावत विक्रय करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है तथा प्रथम पक्ष को अपने भाग को विक्रय करने में किसी प्रकार की कोई कानूनी अड़चन नही है विक्रय की जाने वाली आराजी इस बक्त तक हर किस्म के बार, लोन सरकारी या गैर सरकारी व कुर्की व किफालत व नीलामी बगैरहा से कतई बरी पाक व साफ है गरज यह कि विक्रीत आराजी पर किसी प्रकार का कोई विवाद नही है तथा ना ही इस आराजी पर किसी प्रकार का कोई बकाया आदि है तथा न ही किसी अन्य व्यक्ति का विक्रय की जाने वाली आराजी में कोई हक व हिस्सा है तथा विक्रय की जाने वाली आराजी की बावत हम प्रथम पक्ष विक्रेता ने किसी अन्य व्यक्ति को कोई इकरारनामा या बयनामा नही किया है तथा न ही इस आराजी की बावत द्वितीय पक्ष (क्रेता) के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से कोई धनराशि प्राप्त की है आराजी बक्फ या कस्टोडियन की सम्पत्ति नही है जिसके पाक व साफ होने की पूर्ण सन्तुष्टी क्रेता को करा दी गई है। चूंकि कीमत भी मुनासिब मिल रही है लिहाजा हम प्रथम पक्ष (विक्रेता) ने

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

3 A-2005 8527

खूब सोच व समझकर बिना बहकाये व सिखाये व दबाब नाजायज किसी के पूर्णतः अपनी सदबुद्धि से यह आराजी मुबलिग 2,00,000/--रुपये दो लाख रुपये आधे जिसके 1,00,000/--रु0 एक लाख रुपये होते है द्वितीय पक्ष क्रेता (श्रीमती पुष्पलता छावड़ा पत्नी श्री मदनलाल छावड़ा निवासी न्यू खुशहाल नगर मुरादाबाद व श्रीमती राखी आहूजा पत्नी श्री मनोज आहूजा निवासी राजन इनक्लेव मुरादाबाद) को वय और फरोख्त कामिल करके कुल जरे समन उसका हस्व तफ्सील जैल द्वितीय पक्ष (क्रेता) से वसूल पाकर तमामी शय मुबइया मजकूर वाला का कब्जा व दखल द्वितीय पक्ष (क्रेता) को दे दिया है आज के बाद से आराजी मजकूर की बाबत प्रथम पक्ष (विक्रेता) व वारिसान प्रथम पक्ष (विक्रेता) का कोई ताल्लुक व वास्ता बाकी नही रहा है और न ही आइन्दा होगा द्वितीय पक्ष (क्रेता) को पूरा हक हासिल होगा कि वह कागज कानूनी में प्रथम पक्ष (विक्रेता) का नाम खारिज कराकर अपना नाम दर्ज करा ले अगर बाद को किसी बक्त में किसी फेल प्रथम पक्ष (विक्रेता) या कर्जख्वाह या औलाद या अन्य किसी दीगर

शख्स की देनदारी या कानूनी नुक्स से शय मुबईया का जुज या कुल कब्जा द्वितीय पक्ष (क्रेता) या वारिसान द्वितीय पक्ष (क्रेता) से निकल जावे या बगरज तहफ्फुज शय मुबईया द्वितीय पक्ष (क्रेता) का कुल सर्फा मजीद खर्चा या अदा करना पड़े तो उसी कदर कुल जरे समन की वापसी का प्रथम पक्ष (विक्रेता) अपनी जात व दीगर ज़ायदाद मनकूला व गैर मनकूला हर किस्म अपनी से कुल हरजे व खर्चे अदालती सहित देनदार व जिम्मेदार प्रथम पक्ष (विक्रेता) होगा वनीज आज तक की तमामी कानूनी देनदारियां व जिम्मेदारियां प्रथम पक्ष (विक्रेता) की होंगी अब द्वितीय पक्ष (क्रेता) को हक व अधिकार है कि वह कागजात सरकारी से प्रथम पक्ष (विक्रेता) का नाम खारिज कराकर अपना नाम दर्ज करा लें प्रथम पक्ष (विक्रेता) को कोई उज्र व एतराज नही होगा। पक्षकारान के फोटो गवाहान की शिनाख्त पर श्री एस0 माथुर एडवोकेट ने सत्यापित किये।

नोटः–विक्रीत आराजी का मूल्यांकन, मूल्याकन सूची के परिशिष्ट 1 उपखण्ड "ग" के अनुसार 5,00,000/–रू0 प्रति एकड़ निर्धारित है। उसी पर नियमानुसार स्टाम्प अदा किया गया है। विक्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य है, तथा आराजी उपरोक्त को विक्रय करने की अनुमति कार्यालय जिलाधिकारी महोदय मुरादाबाद से पत्रांक सं0 493 दिनांक 31–8–2004 प्राप्त कर ली है। आराजी पूर्णतः खेती की भूमि है मौके पर तथा आसपास खेती हो रही है आराजी में कोई पेड़ कूप भवन आदि नही है। विक्रेता ने विक्रीत खसरा नम्बरान में अपना सम्पूर्ण भाग विक्रय किया है तथा विक्रीत खसरा नम्बरान में विक्रेता का कोई भाग शेष नही रहा है।

तफसील वसूली जरे समन मुबलिग 2,00,000/–रू0 नकद प्रथम पक्ष (विक्रेता) ने द्वितीय पक्ष (क्रेता) से कब्ल रजिस्ट्री बयनामा हाजा प्राप्त किये।

प्रथम पक्ष (विक्रेता) द्वितीय पक्ष (क्रेता) द्वितीय पक्ष (क्रेता)

ग0 ग0

बयनामा हाजा आज दिनांक 23–3–2005 का बमुकाम मुरादाबाद बइकरार पक्षकारान बमशवरा श्री एस0 माथुर एडवोकेट सचिन मिश्रा ने टाईप किया।

नक्शा आराजी काश्त भूमिधरी बाबत खसरा
सं० 60, 238 व 239 रकबई 0.271 हे०का पूर्ण
भाग व खसरा सं० 59 रकबई 0.121 हे० का 1/2
भाग वाक्य मौजा मुकरीबपुर महतमाली (मुरादाबाद)
इकरारी: श्री फूल कुवर
मौसूमा: श्रीमती पुष्पलता छाबड़ा आदि
नोट: विक्रीत भूमि की 200.0 मी. की त्रिज्या में खेती हो रही है

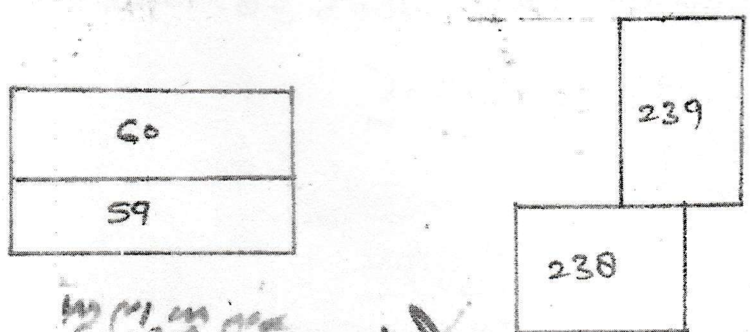

TRACED BY
S P PA
DRAUGHTSMAN CIVIL
Court Compound
MORADABAD

बही - 1 जिल्द - 4803 पृष्ठ - 15/26 क्रमांक - 1411

दिनांक - 23.3.05